कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) : दिल्ली

संदेश

हिन्दी दिवस, 14 सितंबर, 2022

आगामी ''हिन्दी दिवस'' 14 सितंबर 2022 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ।

जैसा कि विदित है, भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में, 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया था। दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 दिनांक 26 जनवरी 2004 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रभावी हो चुका है, जिसमें हिंदी को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है।

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित और प्रोत्साहित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व हम सब पर है। यह आवश्यक है कि हम राजभाषा हिंदी को अधिकाधिक स्वीकार्य तथा इसके प्रयोग को सुगम बनाने के लिए सरकारी कामकाज में सरल और सुबोध हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें और राजभाषा हिन्दी के क्षेत्र में उपलब्ध नए साधनों और माध्यमों को अपनाकर हिन्दी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दें।

यह हर्ष का विषय है कि जिला न्यायालय, दिल्ली में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के प्रति अधिकारियों और कर्मचारियों की रूचि निरंतर बढ़ रही है।

आइए, हिन्दी दिवस के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर प्रण लें कि हम अपना अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिन्दी भाषा में करने का यथासंभव प्रयास करेंगे तथा अपने सभी सहकर्मियों को इस दिशा में और अधिक प्रेरित तथा प्रोत्साहित करेंगे।

गिरीश

(गिरीश काठपालिया)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय)
दिल्ली। 12/9/22

संख्या 69519-719/हिन्दी/केन्द्रीय/238/2022 दिनांक 12 SEP 2022

संदेश की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती हैः-

1) महापंजीयक, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
2) समस्त माननीय विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिम, नई दिल्ली, पूर्व, उत्तर-पूर्व, शाहदरा, उत्तर, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पूर्व व दक्षिण-पश्चिम जिला, दिल्ली, राउज़ एवेन्यू, नई दिल्ली (इस अनुरोध सहित कि इस परिपत्र को आप अपने संबद्ध न्यायिक जिलों में परिचालित करवाएँ)।
3) समस्त विद्वान प्रधान न्यायाधीश व न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दिल्ली/नई दिल्ली।
4) समस्त न्यायिक अधिकारी (केन्द्रीय जिला), तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली।
5) समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) एवं अनुभाग प्रमुख, केन्द्रीय, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
6) आहरण एवं संवितरण अधिकारी/लेखा अधिकारी, केन्द्रीय जिला, दिल्ली।
7) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/अनुभाग प्रभारी, राजभाषा हिन्दी अनुभाग, केन्द्रीय, पश्चिम, नई दिल्ली, पूर्व, उत्तर-पूर्व, शाहदरा, उत्तर, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पूर्व व दक्षिण-पश्चिम जिला, दिल्ली।
8) पेशकार, अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में।
9) निजी सचिव, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली।
10) संबंधित कर्मचारी, वेबसाइट/लेयर्स, इस निर्देश के साथ कि इसे जिला न्यायालय, दिल्ली की वेबसाइट/लेयर्स पर अपलोड करें।

नोट : कृपया अपने अधीन समस्त कर्मचारियों को उक्त संदेश से अवगत करवाएँ।

शैल जैन

(शैल जैन)
अध्यक्षा, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वियन समिति,
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, केन्द्रीय जिला,
जिला न्यायालय, दिल्ली।